उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-48/2018/2030/92-1-2018-38(अधि0)/2017
लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश सं0-39/2018/1978(1)/92-1-2018-38(अधि0) /2017, दिनांक- 24-05-2018 द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-सम्भल का पीआईयू-बांदा किया गया स्थानांतरण, स्वयं के अनुरोध पर एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता अपने पूर्व तैनाती स्थल पीआईयू-सम्भल के पद पर यथावत बने रहेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-30/2018/2030(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in